

प्रधक,

किशन सिंह अटोरिया,
 प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त
 उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
 सिद्धार्थनगर।
 राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०४ फरवरी, 2014

विषय - वर्ष 2013 में आई बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा गोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-340/राहत लिपिक/2013-14, दिनांक 29-11-2013 एवं आयुक्त, वस्ती मण्डल, वस्ती के पत्र संख्या-535/आपदा सहायक/2013-14, दिनांक 13-12-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2013-14 में आई बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित 08 कार्य एवं मण्डल कार्यों/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु कुल धनराशि ₹ 0 4,95,65,300/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹ 0 2,47,82,650/- (कुल रूपये दो करोड़ सेतालिस लाख बयासी हजार छ. सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्णों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहें स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क०स०	परियोजना का नाम	कार्य की लागत (रूपये में)	प्रथम कश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	कठोरिया गाँव से परिला तक दूरी 3.00 किमी	68.32	34.16
2	दुल्हा गाँव से तिक्कसा गाँव तक दूरी 2.50 किमी	61.23	30.615
3	फूलपुर राजस बडहरा तक दूरी 3.00 किमी।	66.45	33.225
4	झगती नन्दी से चमनी चाराह तक दूरी 1.50 किमी।	38.03	19.015
5	वधनी घोरह से ऊरानी गाँव के पुल तक दूरी 1.50 किमी।	39.375	19.6675
6	तरकुल जै इलमीपुर तक दूरी 2.00 किमी।	34.93	17.0965
7	जसमाहन गाँव से इमान्दार गाँव तक 15.00 किमी।	45.545	22.7725

8	इमिलिआ समयमा के स्थान स नादर्हाह हात हुय इमिलिआ बाध तक दूरी 1200 मी०	36.639	16.3195
9	बसन्तपुर स बेलभारिया तक दूरी 1200 मी०	32.691	16.3455
10	दिवली प्रधानमंत्री सड़क से बुरहा हात हुय जनगोरा चौराह तक दूरी 2.00 किमी०	38.987	19.4935
11	बिजोरा चौराह से उत्तर नहर तक दूरी 13.00 किमी०	34.193	17.0965
कुल लागत रु०		495.653	247.8265

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आव्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीषक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट" डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहे एवं अनुमन्य श्रणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जोध सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कालित लागत के सापेक्ष वास्तविक आकलित लागत का ही धनावटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोषक तिथि से धनराशि आवटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों, मुख्य रूप से औचित्य प्रमाण पत्र सम्बन्धी घिन्टुओं पर आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यदाही की जायेगी।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ सलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइस मे निर्धारित एवं अहे मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या 317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को सलग्न किया गया है जिसमे कई मानक मर्दों की दरी में भशीधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उपन परियोजनाओं को नात्कालिक रूप से पुरा कर लिया जाय। राज्य आपदा मोषक तिथि के प्रत्याशित का उद्यम सदूच अंतिकारी द्वारा घिन्टावाट पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कराने के उपर्युक्त

नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित तिथि के अन्तर किया जायगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं का छण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जाएगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य ग्रान्तक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी पति सीटी शासन का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ सलग्न कर दी जाएगी।

7- कलिपय प्रकरणों में यह भी टेक्ष्ण भी आया है कि आवटित धनराशि एकमुश्ति किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इसी बीं कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन का निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आषद्धा मोदक निधि से प्रदत्त धनराशि का अन्तिक स्तर एवं पूर्ण सजगता के साथ समूचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोदक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समूचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मटवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्ता तिथि तक इसी राहत आयुक्त की येद्यसाडे एचटीटीपी/राहत य०पी०.एनआईसी.इन पर भी कोड करवाती सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोदक निधि से स्वीकृत धनराशि के उपयोग/सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०आ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04-03-2013 में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय दर्ष के समाप्ति/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका छण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मद्दों में पुस्ताकल कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित करकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रानुरुद्ध सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-M.P.1 (1)/1-10-2014 तदाटिनांक

प्रतिलिपि नियमानुसारित का सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यालय हानि एवं उपचार

1- महालेखाकार-उथम आडिट परिक्ष ३०४० इत्तानावाट

- 2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ३०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण राया विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- आयुक्त, वस्ती मण्डल वस्ती।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हैं।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, ३०प्र०।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सिद्धार्थगढ़।
- 10- वित्त व्यय लियन्ऱ अनुभाग-५
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
 २१/१५
 (अनिल कुमार बाजपेह)
 उप सचिव।